संख्या-19/2024/आई/689151/2024-10-22099/1223/2020-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक 10 जुलाई, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/2024/आई/685460/2024-10-22099/1223/2020-22 दिनांक 08 जुलाई, 2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को तदर्थ रूप से धनराशि रू0 95 करोड़, (रू0 पंचानवे करोड़ मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- कृपया तद्नुसार रू0 95 करोड़, (रू0 पंचानवे करोड़ मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के खाते से डेबिट कर उत्तराखण्ड राज्य के खाते को क्रेडिट किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर को अन्तर्राज्यीय समायोजन एडवाईज (Inter Governmental Adjustment Advice) प्रेषित करने का कष्ट करें।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अधीन लेखाशीर्षक ''2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ- 01-सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को देय राशि-33-पेंशन/आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।